शिक्षा विभाग हरियाणा

की

वर्ष 1978-79

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक

निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा

विषय विवर्णिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	रिपोर्ट की समीक्षा	1–7
	समालोचना	8
1.	सामान्य सार	9–13
2.	शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन	14–17
3.	विद्यालय शिक्षा	18–25
4.	महाविद्यालय शिक्षा	26–28
5.	शिक्षक प्रशिक्षण	29–31
6.	अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा	32–34
7.	महिला शिक्षा	35–38
8.	शिक्षा सुधार कार्यक्रम	39–41
9.	छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता	42–45
10.	विविध	46–51

"शिक्षा विभाग, हरियाणा की वर्ष 1978–79 की प्रशासकीय रिपोर्ट की समीक्षा"

वर्ष 1978-79 में शिक्षा विभाग पिछले वर्षों की भांति राज्य में शिक्षा के विकास कार्य सामान्य रूप से कार्य करता रहा है। शिक्षा के विकास में राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त अराजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों ने भी शिक्षा के विकास में आवश्यक योगदान दिया है। राज्य में दो सम्बद्ध विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र तथा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक हैं। शिक्षा विभाग सामान्यतः शिक्षा के विभिन्न सत्रों से संबंधित विकास योजनाएं बनाने, उनसे संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने तथा उनके उचित समन्वय का कार्य करता है।

इस अवधि में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सन्तोषजनक प्रगति हुई। शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने संबंधी कार्यक्रमों पर भी विशेष बल दिया गया। इस विभाग की गतिविधियों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

(क) शिक्षा का विकास, योजनाओं का बनाना तथा उनको अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता से कार्यान्वित करना।

(ख) भिन्न-भिन्न वर्गों के शिक्षकों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करने के लिये भिन्न-भिन्न स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध करना।

(ग) विश्वविद्यालयों, अराजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों की पात्रता परखने के पश्चात् अनुदान की राशि स्वीकृत करना।

(घ) सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों एवं अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवत्तियां, वजीफों एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना।

(ङ) पाठ्य-पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का उपलब्ध करना।

(च) अन्य कार्यक्रम।

(क) शिक्षा की विकास योजना का बनाना तथा उनको अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता से कार्यान्वित करना।

(1) बजट :—रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा विभाग का कुल बजट (संशोधित अनुमान) 4582.09 लाख रुपये था जिसमें ~~योजनास्तर~~ योजनेत्तर पर 3816.48 लाख रुपये और योजना स्तर पर 765.61 लाख रुपये था।

(2) स्कूलों का खोलना और स्तर बढ़ाना :—इस अवधि में सरकार ने 71 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक तथा 40 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर उच्च किया।

(3) छात्र संख्या :—स्कूल शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या वर्ष 1978-79 में 17.45 लाख (लड़के 12.19 लाख और लड़कियां 5.26 लाख) थी। इनमें प्राईमरी स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11.73 लाख थी। माध्यमिक स्तर पर 4.35 लाख तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1.38 लाख रही। पिछले वर्ष की अपेक्षा रिपोर्टाधीन वर्ष में स्कूल शिक्षा के हर स्तर पर छात्र संख्या में वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा स्तर पर 81288 छात्रों ने राज्य की भिन्न-भिन्न उच्च शिक्षण की संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की।

(4) अध्यापक :—शिक्षा के विकास के साथ साथ भिन्न-भिन्न संस्थाओं में शिक्षकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। रिपोर्टाधीन अवधि में भिन्न-भिन्न वर्गों के स्कूलों में 30-9-78 को 53738 अध्यापक थे। उच्च शिक्षा संस्थाओं में (महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) शिक्षकों की संख्या 3415 थी। पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षकों की संख्या विशेषता स्कूल स्तर की संस्थाओं में बढ़ी है।

(5) प्राथमिक शिक्षा का विकास :—राज्य में 6–11 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिये विशेष पग उठाये गये। जिनमें प्राथमिक स्तरीय ड्राप-आऊटस के लिये रिपोर्टाधीन अवधि में 2368 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गये जिनमें 49174 बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा देकर साक्षर बनाया गया।

(6) **उच्च शिक्षा का विकास** :—इस अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 118 रही जिनमें 20 शिक्षा महाविद्यालय और 98 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले महाविद्यालयों की संख्या केवल 14 थी। रिपोर्टाधीन अवधि में राजकीय महाविद्यालय करनाल में बी0एस0सी0 भाग–II (नान मैडीकल) की कक्षाएं आरम्भ की गई।

वर्ष 1978-79 में राज्य में 81288 छात्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की जिनमें 16832 राजकीय महाविद्यालयों, 60408 ने अराजकीय महाविद्यालयों तथा 4048 ने विश्वविद्यालयों के टीचिंग विभागों द्वारा प्राप्त की।

(7) **भवनों की मुरम्मत/निर्माण** :—रिपोर्टाधीन अवधि में करनाल, वहादुरगढ़, हिसार तथा महेन्द्रगढ़ में स्थित राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्यक्रमों पर 19.57 लाख रुपये सरकार द्वारा खर्च किये गये।

स्कूल स्तर की शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये 123 राजकीय विद्यालयों भवनों की मुरम्मत के लिये लोक निर्माण विभाग से प्राप्त अनुमानों के आधार पर 25.50 लाख रुपये को राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त 2.50 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की वार्षिक मुरम्मत के लिये 50 विकास खण्डों तथा पंचायत समितियों को दी गई।

(8) **प्रौढ शिक्षा** :—15–25 आयु वर्ग के युवकों एवं युवतियों को शिक्षा देने का कार्यक्रम 4 जिलों में भिवानी, कुरुक्षेत्र, जीन्द एवं महेन्द्रगढ़ में चलाया गया। इस स्कीम के अन्तर्गत 400 केन्द्र खोले गये और इन केन्द्रों में 8600 प्रौढ़ों को शिक्षा का लाभ पहुंचाया गया। इस स्कीम पर खर्चा भारत तथा राज्य सरकार 50:50 के आधार पर करती है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में 851 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये जिनमें 19833 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया। इन केंन्द्रों में से 398 प्रौढ़ शिक्षा केंन्द्र अनुसूचित जातियों के लिये खोले गये थे। साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों में से पुरुषों की संख्या 5565 तथा स्त्रियों की संख्या 2781 है।

प्रौढ़ शिक्षा के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित पद सृजित किए गए।

(1) संयुक्त निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	1
(2) उप निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	1
(3) सहायक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा	2

उपरोक्त के अतिरिक्त रिसोर्स केन्द्र की स्थापना के लिए एकमात्र पद निदेशक रिसोर्स केन्द्र का तथा 5 पद अनुसंधान अधिकारियों के लिये भी रिपोर्टाधीन अवधि में सृजित किये गये ।

जिला स्तर पर जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारियों के पद (एक पद प्रति जिला) सृजित किये गये ।

(ख) भिन्न-भिन्न वर्ग के शिक्षकों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करने के लिये भिन्न-भिन्न स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध करना :–

रिपोर्टाधीन वर्ष के डिपलोमा-एन-ऐजुकेशन की कक्षाओं में दाखिला सरकार द्वारा पिछले वर्ष की भांन्ति बन्द रहा । क्योंकि प्राईमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिये पहले ही काफी संख्या में अध्यापक बेरोजगार थे। रिपोर्टाधीन अवधि में हिन्दी तथा संस्कृत ओ0 टी0 की कक्षाएं राजकीय शिक्षण महाविद्यालय, भिवानी में खोली गई। इसके अतिरिक्त ओ0 टी0 पंजावी की कक्षा रा0 जे0बी0 टी0 स्कूल, नारायणगढ़ में आरम्भ की गई ताकि आवश्यकता अनुसार इन विषयों के अध्यापक विभाग को उपलब्ध हो सकें। अध्यापकों की व्यवसायिक दक्षता को वढाने तथा स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिये रिपोर्टाधीन अवधि में 4100 प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों और 1200 सैकण्डरी अध्यापकों को भिन्न -2 विषयों में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिये जे0 वी0 टी0 अध्यापकों/खण्ड शिक्षा अधिकारियों को भी विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया ।

(ग) विश्वविद्यालयों, राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों की पात्रता परखने के पश्चात अनुदान की राशि स्वीकृत करना :–

रिपोर्टाधीन अवधि में विश्वविद्यालयों, अराजकीय महाविद्यालयों, विद्यालयों में शिक्षा के कार्य को सुचारु रुप से चलाने तथा शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिये निम्नलिखित अनुदान (विकास एवं संरक्षण अनुदान) दिये गये :–

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	154.06 लाख रुपये
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	150.00 लाख रुपये
अराजकीय महाविद्यालय	133.45 लाख रुपये
अराजकीय विद्यालय	21.85 लाख रुपये

इस वर्ष अराजकीय महाविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान की मात्रा उनके घाटे के 45 प्रतिशत से बढकर 75 प्रतिशत कर दी गई है। इससे राज्य सरकार को 34.14 लाख रुपये की राशि मेंनटेंस ग्रांट के रुप में अधिक देनी पड़ी है। अराजकीय विद्यालयों को उपरोक्त दिये गये 21.85 लाख रुपये के अनुदान की राशि के अतिरिक्त इन स्कूलों के उनके घाटे के 31½ प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान की राशि भी दी गई ।

रिपोर्टाधीन अवधि में कोठरी ग्रांट स्कीम के अन्तर्गत 43.85 लाख रुपये की राशि संशोधित वेतनमानों के रूप में इन अराजकीय विद्यालयों को दी गई ।

(घ) सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों एवं अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृतियां, वजीफे एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना :–

रिपोर्टाधीन अवधि में विद्यालय/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भिन्न-भिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत दी गई हैं :–

(1) भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 1093 योग्य छात्रों को 11.38 लाख रुपये की राशि वितरित की गई ।

(2) 599 योग्य हरियाणवी छात्रों को मैट्रिक उपरांत संस्थाओं में पढ़ने वाले के लिये 3.64 लाख रुपये की छात्रवतियां राज्य सरकार द्वारा दी गई ।

(3) सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 613 छात्रों को 15.40 लाख रुपये की छात्रवृतियां दी गई ।

(4) भारत सरकार की राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 342 छात्रों को 2.41 लाख की ऋण छात्रवृतियां दी गई ।

(5) उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 668 छात्रों को 15/- रुपये मासिक की दर से तथा माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 1014 छात्रों को 10/-रुपये मासिक दर से योग्यता छात्रवृतियां देने की व्यवस्था भी की गई ।

उपरोक्त छात्रवृतियों के अतिरिक्त राज्य हरिजन कल्याण योजना के अन्तर्गत स्कूल स्तर पर अनसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों को नौवी, दसवीं तथा ग्याहरवीं कक्षा में 8/- रुपये प्रतिमास की दर से वजीफे/छात्रवृतियां प्रदान की गई महाविद्यालय स्तर पर पिछड़े वर्ग के छात्रों को भिन्न-भिन्न कक्षाओं/कोर्सों में 15/- रुपये 20/- रुपये तथा 25/- रुपये की दर से वजीफे दिये गये । इन वजीफों के लिये 40.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

मैट्रिक उपरांत कक्षाओं में अनुसूचित जातियों के छात्रों को भिन्न-भिन्न कक्षाओं/कोर्सों के लिये 40/– रुपये की दर से 195 रुपये की दर तक प्रति मास वजीफे इत्यादि भी दिये गये । यह वजीफे/छात्रवृतियां विद्यार्थीयों को उनके संरक्षकों की आय के आधार पर दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि में 64.49 लाख रुपये की व्यवस्था की गई और लगभग 4600 छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ ।

अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर अनुसूचित जातियों के प्रत्येक छात्र को मैट्रिक उपरांत छात्रवृति दी गई ।

संस्कृत/तिलगू भाषा पढ़ने वाले योग्य छात्रों को प्रोत्साहन देने हेतु 10/- रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृतियां प्रदान की गई ।

(ङ) *पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का उपलब्ध करना :—*

पिछले वर्ष की भांति रिपोर्टाधीन अवधि में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध करने हेतु विशेष पग उठाये गये । वर्ष 1978–79 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग

के विद्यार्थियों को ऋण के आधार पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु सरकार ने 9.29 लाख रुपये की राशि की पुस्तकें स्थापित बुक-बंकस को सदृढ़ करने के लिये खरीदी गई ।

अन्य कार्यक्रम :-

फीडिंग प्रोग्राम

मध्यान्ह भोजन का लाभ रिपोर्टाधीन अवधि में 4.22 लाख बच्चों को उपलब्ध किया गया जबकि पिछले वर्ष केवल 2.80 लाख बच्चों को प्राप्त हुआ था । इस कार्यक्रम पर शिक्षा विभाग ने 26.30 लाख रुपये की राशि केयर संगठन के प्राशसकीय तथा परिवहन खर्च के रुप में दी । घरौंडा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा 40,000 बच्चों के लिये प्रतिदिन पंजीरी तैयार करके स्कूलों में बांटने के लिये भेजी गई ।

(2) अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष :-

रिपोर्टाधीन अवधि में विपदाग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को भिन्न भिन्न प्रकार की सहायता के रुप में इस कोष से 3.83 लाख रुपये की राशि वितरीत की गई ।

(3) खेलकूद एवं क्रियात्मक कार्यक्रमों में उपलब्धियों :-

अन्तर राजकीय शीतकालीन प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र/छात्राओं ने कुशती में एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक तथा 2 कांसीय पदक प्राप्त किये । स्वर्ण पदक जवैलन थ्रो में तथा एक स्वर्ण पदक पोल वोल्ट में भी प्राप्त किया । पोल वोल्ट में एक रजत पदक भी छात्र द्वारा प्राप्त किया गया ।

(4) एन. एस. एस. स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण जनता के उत्थान हेतु 123 शिविर लगाये गये जिनमें 6000 छात्रों ने भाग लिया ।

रिपोर्टाधीन वर्ष में कर्नल राम सिंह तथा उसके पश्चात् श्री हीरा नन्द आर्या, शिक्षा मन्त्री के पद पर रहे । शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद पर कुमारी मीरा सेठ, श्री कुलवंत सिंह, श्री जी. वी. गुप्ता तथा उनके पश्चात् श्री जे. डी. गुप्ता, आई. ए. एस. रहे । श्री ओ. पी. भारद्वाज, आई. ए. एस. ने रिपोर्टाधीन अवधि में निदेशक शिक्षा विभाग का कार्यभार सम्भाले रखा ।

प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 1978–79 पर समालोचना

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य के शिक्षा क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है। प्राईमरी, मिडिल तथा उच्च/उच्चतर स्तर पर छात्रों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। शिक्षा की सुविधाओं में और विस्तार करने के लिये 71 प्राईमरी स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर माध्यमिक तथा 40 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर उच्च किया गया है। माध्यान्ह् भोजन का लाभ जो पहले 2.80 लाख बच्चों को प्राप्त था, उसका विस्तार कर अब उसका लाभ 4.22 लाख प्राईमरी क्लासों के बच्चों को दिया गया है।

शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने के लिये शिक्षा विभाग ने गुणात्मक सुधार योजनाओं पर विशेष बल दिया। वर्ष के दौरान 4100 प्राथमिक अध्यापको तथा 1200 माध्यमिक अध्यापकों को भिन्न भिन्न विषयों को सुचारु रुप से पढ़ाने के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया।

स्कूल भवनों की मुरम्मत पर 25.50 लाख रुपये की राशि लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क) हरियाणा द्वारा व्यय की गई। इसके अतिरिक्त 2.50 लाख रुपये की राशि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की वार्षिक मुरम्मत के लिये 50 विकास खण्ड/पंचायत समितियों को दी गई।

अनौपचारिक एवं प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में भी संतोषजनक प्रगति हुई। खेलों के क्षेत्र में भी अन्तर राजकीय प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र/छात्राओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रतियोगिताओं में तीन स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं 2 कास्य के पदक प्राप्त किए गए।

अध्याय 1

"सामान्य सार"

1.1. प्रस्तुत शिक्षा विभाग की प्रशासकीय रिपोर्ट वर्ष 1978-79 की शिक्षा की गतिविधियों से संबन्धित है ।

1.2. सितम्बर 1978 में हरियाणा में स्थित भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की संख्या तथा शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :-

संस्था का प्रकार	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या		
		लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5
प्राथमिक पाठशालाएं	5,384	4,73,180	2,06,658	6,79,838
माध्यमिक पाठशालाएं	801	2,09,499	89,808	2,99,307
उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं	1,201	5,38,204	2,32,607	7,70,811
शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	1	66	6	72
महाविद्यालय	118	53,075	24,165	77,240
विश्वविद्यालय	2	3,017	1,031	4,048

स्तर अनुसार छात्र संख्या :-

1.3. राज्य में सितम्बर 1978 में शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रही थी ।

शिक्षा का स्तर	छात्रों की संख्या		
	लड़के	लड़कियां	जोड़
स्कूल स्तर			
प्राथमिक स्तर (पहली से पांचवी कक्षाएं)	7,87,565	3,85,459	11,73,024
माध्यमिक स्तर (छटी से आंठवीं कक्षा)	3,27,030	1,07,875	4,43,905
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर (नौवीं से ग्याहरवीं कक्षाएं)	1,04,607	33,066	1,37,663
कुल संख्या	12,19,202	5,26,390	17,45,592
उच्च शिक्षा स्तर :—			
प्री-यूनीवर्स्टी	15,919	5,111	21,030
तीन वर्षीय डिग्री कोर्स	33,257	13,477	46,734
पी. एच. डी. तथा एम. ए. कक्षाएं	2,764	1,528	1,292
बी. एड./एम. एड.	1,352	2,430	3,782
अन्य कोर्सिज	2,800	2,650	5,450
योग	56,892	25,196	81,288

शिक्षकों की संख्या :—

1.4. हरियाणा राज्य में कार्य करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या स्तर अनसार इस प्रकार रही :—

(क) स्कूल स्तर पर :—

	पुरुष	महिलाएं	कुल अध्यापक
प्राईमरी स्तर	19,702	10,466	30,168
माध्यमिक स्तर	9,946	3,687	13,633
उच्च/उच्चतर स्तर	7,542	2,395	9,937
योग	37,190	16,548	53,738

इन अध्यापकों में से 4957 अध्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य करते हैं।

(ख) उच्च शिक्षा स्तर पर :—

	पुरुष	महिलाएं	कुल
राजकीय महाविद्यालय	630	198	828
अराजकीय महाविद्यालय	1,660	624	2,284
शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	1	1	2
विश्वविद्यालय	265	31	296
योग	2,556	854	3,414

शिक्षा पर व्यय

1.5. शिक्षा विभाग का वर्ष 1978–79 का बजट (संशोधित अनुमान अनुसार) इस प्रकार था :

(राशि लाखों में)

मद	~~मेन्टीनेन्स~~	योजना	कुल
1. उच्च शिक्षा (कालिज शिक्षा)	378.61	305.40	684.01
2. माध्यमिक शिक्षा	1,738.75	127.71	1,866.46
3. प्राथमिक शिक्षा	1,504.69	249.76	1,754.45
4. विशेष शिक्षा (सपैशल)	3.82	37.68	41.50
5. एन. सी. सी.	491.68	23.54	73.22
6. विविध	16.15	—	16.5
जोड़	3691.70	744.09	4435.79
(ख) परोक्ष व्यय :			
1. निर्देशन	35.93	3.00	38.93
2. इसपैकशन	88.85	18.52	107.37
जोड़	124.78	21.52	146.30
जोड़ प्रत्यक्ष तथा परेक्ष	3816.48	765.61	4582.09

महाविद्यालय शिक्षा :–

1.6. इस वर्ष कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया। नैशनल कालिज सिरसा का प्रवन्ध राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया है।

महाविद्यालय शिक्षा :–

1.7. राज्य के सभी 11 जिलों में शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं जो अपने-अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्यान्वित करते हैं ।

भाषाई अल्पसंख्यों की सुविधाएं :–

1.8. हरियाणा राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य सरकार द्वारा अपनी भाषा को अतिरिक्त विषय के रुप में सुविधा जारी रखी गई । यदि किसी कक्षा में कम से कम 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी वह भाषा पढ़ने की इच्छा रखते हो तो उनके लिये उस भाषा को पढ़ने का प्रबन्ध किया जाता है ।

नये स्कूलों का खोलना तथा स्कूलों का स्तर बढ़ाना :–

1.9. इस अवधि में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पंचकूला में खोला गया । इसके अतिरिक्त 71 प्राथमिक स्कूलों के स्तरको बढ़ाकर मिडल तथा 40 मिडल स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर उच्च किया गया ।

छात्र कल्याण कार्यक्रम :–

1.10. गत वर्ष की भांति इस वर्ष में भी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को नियन्त्रित मूल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाया गया। विद्यार्थियों को नियंत्रित मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तुए उपलब्ध करने के लिये राज्य के महाविद्यालयों/विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के सभी छात्रावासों को निकट के सहकारी उपभोक्ता स्टोरों से सम्बन्ध रखा गया ताकि उनको बिना कठिनाई सभी वस्तुएं उपलब्ध होती रहें।

छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाना :–

वर्ष 1978–79 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु 7043 बुक बैंकों को सुदृढ़ करने के लिये 9.50/- लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 9.29 लाख रुपये की राशि खर्च हुई ।

अध्याय 2

"शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन"

वर्ष 1978–79 में कुछ समय के लिये कर्नल राम सिंह तथा इसके पश्चात श्री हीरा नन्द आर्या, शिक्षा मन्त्री के पद पर रहे ।

(क) सचिवालय :–

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद पर कुमारी मीरा सेठ, श्री कुलवन्त सिंह, श्री जी. बी. गुप्ता तथा श्री जे. डी. गुप्ता रहे । उप सचिव के पद पर श्री श्री एस. के जैन ने कार्य किया । उपरोक्त सभी अधिकारी आई. ए. एस. काडर के हैं । अवर सचिव के पद पर श्री ओ. पी. जैन तथा रामप्रसाद एच. एस. एस. ने कार्य किया ।

(ख) निदेशालय स्तर :—

रिपोर्टाधीन वर्ष में श्री ओ. पी. भारद्वाज, आई. ए. एस. ने निदेशक शिक्षा के पद पर कार्य किया ।

पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा में विशेष विकास हुआ जिसके कारण हर स्तर पर शिक्षा की प्रशसाकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए निदेशालय के स्कूल तथा कालिज शिक्षा के कार्य को फेसड प्रोग्राम में अलग-अलग करने का निर्णय लिया गया जिसके अनुसार संयुक्त निदेशक प्रशासन के पद को अपग्रेड करके 10-2-78 से अतिरिक्त निदेशक का पद बना दिया गया और इस पद पर श्री के. सी. शर्मा नियुक्त रहे । इस प्रकार निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारु रुप से चलाने के लिये निदेशक शिक्षा विभाग को सहयोग दिया ।

संयुक्त निदेशक (महाविद्यालय), एच. ई. एस.

संयुक्त निदेशक (शिक्षा) एच0 सी0 एस0

उप निदेशक महाविद्यालय, एच0 ई0 एस0

उप निदेशक विद्यालय, एच0 ई0 एस0

उप निदेशक योजना, एच0 ई0 एस0

अध्यक्ष, अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, एच0ई0एस0

प्रशासन अधिकार, एच0सी0एस0

सहायक निदेशक (परीक्षा), एच0ई0एस0

सहायक निदेशक (आंकड़ा), एच0ई0एस0

सहायक निदेशक (निर्माण), एच0ई0एस0

सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति), एच0ई0एस0

सहायक निदेशक (पुस्तक), एच0ई0एस0

सहायक निदेशक (अध्यापक प्रशिक्षण), एच0ई0एस0

सहायक निदेशक (अध्यापक स्थापना), एच0ई0एस0

सहायक निदेशक (स्कूल), एच0ई0एस0

लेखा अधिकारी–1

लेखा अधिकारी–2

रजिस्ट्रार शिक्षा

बजट अधिकारी

जिला प्रशासन :–

2. 2. राज्य के प्रत्येक जिले के स्कूल शिक्षा का विकास, प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने

जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्यरुप देते हैं। जिले में शिक्षा के विकास कार्य को सुचारू रुप से चलाने के लिये सभी उप-मंडलों में उप-मिडल शिक्षा अधिकारी है। उप मंडल शिक्षा अधिकारी अपने उप मंडल में शिक्षा के विकास के लिये जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं।

माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी रुचियों के अनुसार भविष्य में व्यवसाय आदि के सुझाव में सहायता देने के लिये जिला स्तर पर एक-एक सहायक मार्गदर्शन परामर्शदाता की नियुक्त की हुई है। यह अधिकारी विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न व्यवसायों के बारे में मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं ताकि स्कूल शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी अपनी रुचियों के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकें। विद्यार्थी को भिन्न भिन्न व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशिक्षण की उपलब्ध सुविधाएं के बारे में भी काम दिया जाता है।

31-3-79 की स्थिति अनुसार निदेशालय तथा जिला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा परिशिष्ट "क" तथा "ख" में दिया गया है। श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय के कुल पदों की सूचि परिशिष्ट "ग" में दी गई है।

खण्ड स्तर पर :–

2.3. राज्य में स्थित सभी 5384 प्राथमिक विद्यालयों को निरीक्षण तथा प्रशासन सुविधा के लिये 117 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खण्ड में प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारु रुप से चलाने के लिये उत्तरदायी है।

राजकीय विद्यालय :—

2.4. सभी राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध मुख्य अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता है। सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारु रुप से शिक्षा देने तथा उसके शैक्षिणक मानसिक और शारीरिक विकास के लिये जिला शिक्षा अधिकारी तथा विभाग के प्रति उत्तरदायी है।

अराजकीय विद्यालय :—

2.5. अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी स्थानीय प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है । शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। यह विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग इनको सुचारु रुप से चलाने के लिये वार्षिक अनुदान देता है । इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं।

विश्वविद्याला/महाविद्यालय :—

2.6. राजकीय महाविद्यालयों के प्रचार्य प्रत्यक्ष रुप में सुचारु रुप से प्रशासन तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिये निदेशक शिक्षा के प्रति उतरदायी हैं ।परन्तु गैर सरकारी महाविद्यालयों का प्रसासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियां ही चलाती हैं । राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की शिक्षा नीति को अपनाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार भी इनको वितीय सहायता साधारण तथा विकास अनुदान के रुप में प्रत्येक वर्ष देती है ।

अध्याय 3

"विद्यालय शिक्षा"

3.1 शिक्षा के ढांचे में विद्यालय शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है । तथा इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान होना भी चाहिए क्योंकि बच्चा सबसे पहले स्कूल से ही शिक्षा ग्रहण करना आरम्भ करता है। अतः इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने विद्यालय शिक्षा के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया है ।

3.2. इस समय हरियाणा में सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से आठवीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । 6 से 11 वर्ष की आयु के f अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों में लाने के लिये प्रति वर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अभियान चलाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1976–77 से प्रति वर्ष एक लाख रुपया दिया जाता है जिसके द्वारा कमजोर वर्ग की पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रति वर्ष 15/- रु0 की कीमत की वर्दी प्रत्येक छात्र को दी जाती है। जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 6660 लड़कियों को लाभान्वित किया जाता है।

शिक्षा सुविधाओं का विस्तार :—

3.3. रिपोर्टाधीन वर्ष में शिक्षा सुविधाओं में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वर्ष 1978–79 में 71 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर माध्यमिक तथा 40 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर उच्च किया गया । इनमें से 8 लड़कियों के मिडल स्कूल तथा 9 मिडल स्कूलों (लड़कियों के) का दर्जा बढ़ा कर उच्च किया गया ।

1-9-78 को हरियाणा में गैर-सरकारी तथा सरकारी विद्यालयों की संख्या

निम्नलिखित थी :—

क्रम संख्या	सरकारी	गैर-सरकारी	जोड़
1	2	3	4
1. पूर्व प्राथमिक विद्यालय	6	1	7
2. प्राथमिक विद्यालय	5296	88	5384
3. माध्यमिक विद्यालय	775	26	801
4. उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	966	235	1201

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तीन स्कूलों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई गई है। जिसके नाम निम्न प्रकार हैं :–

1. सरस्वती विद्या मन्दिर, जगाधरी ।
2. सरस्वती हाई स्कूल, पलवल
3. सैंट क्रियासचीयन हाई स्कूल, गुड़गांव

बालवाड़ियों की स्थपना :—

3.4. समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के 3 से 6 वर्ष के बच्चों की देखरेख एवं उनके लिये शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये राज्य में पिछले वर्ष 10 बालवाड़ियों की व्यवस्था की गई थी। इन बालवाड़ियों के अतिरिक्त राज्य के कुछ अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ नर्सरी तथा प्री-प्राईमरी श्रेणियां भी संलगन हैं। इन श्रेणियों में भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

छात्र संख्या :–

3.5. वर्ष 1978–79 में स्कूलों में भिन्न भिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले विद्या-

थियों की संख्या इस प्रकार रही है :—

शिक्षा का स्तर	लड़के	लड़कियां	जोड़
प्राथमिक स्तर	787565	385459	1173024
माध्यमिक स्तर	327030	107875	434905
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	104607	33056	137663

रिपोर्टाधीन अवधि में छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा प्राथमिक स्तर पर 27 हजार, माध्यमिक स्तर पर 28 हजार तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 34 हजार की वृद्धि हुई ।

अध्यापक :—

3.6. वर्ष 1978—79 में जिन स्कूलों का स्तर बढ़ाया गया उनके लिये निम्न-लिखित अमला भी स्वीकृत किया गया :—

मुख्याध्यापक	40
मास्टर	151
पी. टी. आई.	40
लिपिक	40
चतुर्थ श्रेणी	151

वर्ष 1978—79 में हरियाणा राज्य के भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षकों की संख्या

इस प्रकार रही :—

शिक्षा का स्तर	पुरुष	महिलाएं	जोड़
प्री-प्राईमरी स्तर	17	62	79
प्राथमिक स्तर	19702	10466	30168
माध्यमिक स्तर	9946	3687	13633
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	7542	2395	9937
जोड़	37207	16610	53817

हरियाणा राज्य में अधिकतर अध्यापक प्रशिक्षित हैं। राज्य में केवल 698 अध्यापक ऐसे हैं जो प्रशिक्षत नहीं हैं। उपरोक्त अध्यापकों में से 48781 अध्यापक राजकीय विद्यालयों में और 4957 अध्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

अध्यापक छात्र अनुपात :–

3.7. रिपोर्टाधीन अवधि में स्कूल के भिन्न भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न वर्गों के स्कूलों में अध्यापक छात्र अनुपात इस प्रकार रहा :—

स्कूल अनुसार		स्तर अनुसार	
प्राथमिक स्कूल (1–5)	1:40	प्राथमिक स्तर (1–5)	1:39
माध्यमिक स्कल (1–8)	1:33	माध्यमिक स्तर (6–8)	1:32
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल (1–11)	1:28	उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर (9–11)	1:14

दोहरी पारी प्रणाली :-

3.8. भिन्न-भिन्न विद्यालयों के भवनों में छात्रसंख्या की वृद्धि के कारण बच्चों के बैठने के लिये स्थान और कमरों की कमी हो जाती है, उन विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली अपनाने की स्वीकृति देने में जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं समक्ष है।

सहशिक्षा की नीति :-

3.9. एसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिये माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय नहीं हैं, वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की गई है। 5141 प्राथमिक विद्यालयों में से 244 राजकीय और 16 अराजकीय प्राथमिक विद्यालय केवल कन्याओं के लिये हैं। शेष सभी विद्यालयों में सहशिक्षा है।

तेलगू भाषा की शिक्षा :—

3.10. हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रुप में दी जाती है। इस भाषा की शिक्षा की सुविधा राज्य के 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। तेलगू भाषा पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को 10/- रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1978-79 में इस पर 37440/- रुपये की राशि व्यय की गई।

भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक :—

3.11. हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रुप से पढ़ते हैं। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है।

3.12. विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा के रुप में पढ़ाई जाती है। यह छटी कक्षा से आरम्भ की जाती है। तीसरी भाषा पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के अतिरिक्त राष्ट्रीय भावात्मक एकता लाने के लिये दक्षिण भारत की भाषा की शिक्षा की सुविधा भी 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों

में पंजावी, उर्दू और संस्कृत तथा तेलगू भाषाओं में से विद्यार्थी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषी के रूप में कर सकते हैं।

3.13. हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने की भी हरियाणा सरकार ने विशेष सुविधा दे रखी है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 बच्चों या स्कूल में 40 बच्चों से अधिक विद्यार्थी हों तो वह अपनी भाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विशेष भाषा के रूप में पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिये सरकार उनको इस विषय में शिक्षा देने के लिये सुविधा प्रदान करती है। 19 अराजकीय विद्यालयों को, जिनमें हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी थी, पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिये सरकार ने विशेष अनुमति दे रखी है।

3.14. भाषा अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा प्रदान करने तथा सरकार को इस संबंध में मशवरा देने हेतु एक उच्च स्तरीय अल्प भाषाई समिति का गठन किया हुआ है।

शिक्षा पद्धति 10–2–3 को लागू करना :–

3.15. शिक्षा का नया शैक्षणिक ढांचा अभी हरियाणा राज्य में लागू नहीं किया गया। इस ढांचे को लागू करने हेतु पिछले वर्ष माध्यमिक/उच्च उच्चतर/माध्यमिक विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1977-78 में 60.30 लाख रुपये की राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी।

चतुर्थ अखिल भारतीय सर्वेक्षण :–

3.15(ए). 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को भविष्य में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु आवश्यक शैक्षणिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिये शिक्षा मन्त्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों के अनसार हरियाणा राज्य में भी 30-9-1978 के स्थिति अनुसार सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण पर होने वाला सारा खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया गया। भारत सरकार की निर्धारित समय सारणी अनुसार 31 मार्च, 1979 तक

हरियाणा राज्य में सभी खण्ड टेबल तैयार कर लिये गये थे। तथा जिला स्तर पर की टैबूलेशन का कार्य आरम्भ कर दिया गया था।

परीक्षा परिणाम :-

3.16. आठवीं दसवीं तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षाओं के लिये राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की हुई है। वर्ष 1978-79 में आठवीं कक्षा में 124142 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे जिनमें से 54.40 प्रतिशत पास घोषित हुए तथा 16016 विद्यार्थी प्राईवेट आधार पर परीक्षा में बैठे जिनमें से 39.37 विद्यार्थी पास घोषित हुए।

3.17. दसवीं कक्षा की परीक्षा में 56815 विद्यार्थी नियमित तौर पर बैठे जिनमें से 64.33 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए तथा 23852 विद्यार्थी प्राईवेट तौर पर परीक्षा में बैठे और 21.17 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। उच्चतर माध्यमिक कक्षा का परिणाम 47.29 पास प्रतिशत रहा।

अराजकीय विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना :—

3.18. रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित विद्यालयों तीन को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई :-

1. सरस्वती विद्या मन्दिर, जगाधरी
2. सरस्वती हाई स्कूल, पलवल
3. सैंट क्रियसचीयन हाई स्कल, गुड़गांव

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान :-

3.19. पूर्व वर्षों की भांति वर्ष 1978-79 में ही अराजकीय विद्यालयों को निम्नलिखित अनुसार अनुदान दिया गया :-

प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय	7,18,526
उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	12,68,566

स्थानीय विकास/कैंट बोर्ड प्राईमरी	20,000
संस्कृत विद्यालय गुरुकुल	73,393
हरियाणा साकेत कौंसिल, चण्डीमन्दिर	68,000
हरियाणा वैलफेयर सोसाईटी फार डेफ एंड डम्प चण्डीगढ़ को गुड़गांव केन्द्र के लिये	26,500
गांधीयन इंस्टीच्यूट आफ स्टडीज, वाराणसी	10,000

उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त 10 अराजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उपकरणों के खरीदने के लिये 500/- रु० प्रति स्कूल की दर से 5000/- रु० की राशि का उपकरण अनुदान भी दिया गया।

अराजकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों को उनके घाटे का 31½ प्रतिशत अनुदान भी दिया गया तथा अराजकीय/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उनके घाटे की 25 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी गई इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय विद्यालयों को कोठारी ग्रांट स्कीम के अन्तर्गत 4,38,545/- रु० की राशि स्वीकृत की गई।

अध्याय चौथा

"महाविद्यालय शिक्षा"

महाविद्यालयों की संख्या :—

4.1. रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 118 थी जिसमें 20 शिक्षा महाविद्यालयों और 98 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। राज्य में प्रशासनिक प्रबन्ध अनुसार इन महाविद्यालयों की संख्या इस प्रकार रही है।

राज्य सरकार द्वारा	प्राईवेट बाडीज द्वारा	विश्वविद्यालय द्वारा	जोड़
14	101	3	118

गैर सरकारी महाविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण में लेना :—

4.2. वर्ष 1978-79 में नेशनल कालिज, सिरसा को राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया।

राजकीय महाविद्यालयों में नये विषयों/कक्षाओं का चालू करना

4.3. वर्ष 1978-79 में राजकीय महाविद्यालय करनाल में बी०एस०सी० भाग–11 (नान मैडिकल) की कक्षाएं आरम्भ की गई।

अराजकीय महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान :-

4.4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य के राजकीय/अराजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे प्राध्यापकों/प्राचार्यों के 1-1-1973 के संशोधित वेतनमान के खर्च के लिये वर्ष 1978-79 में 44.03 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई।

1-11-1966 से अराजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के संशोधित वेतनमान के खर्चे के लिये 15.81 लाख रुपये की राशि वर्ष 1978-79 में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई।

4.6. इसके अतिरिक्त राज्य के अराजकीय महाविद्यालयों को वर्ष 1978-79 में 68.41 लाख रुपये की मेनटेंनस ग्रांट तथा 5.20 लाख रुपये की विकास अनुदान के रूप में राशि दी गई। इस बारे यह कहना है कि वर्ष 1978-79 में सरकार ने अराजकीय कालिजों को दी जाने वाली अनुदान की मात्रा उनके घाटे को 45 प्रतिशत से 75 प्रतिशत कर दी है। जिससे सरकार को 34.44 लाख रुपये अधिक खर्च करने पड़ें।

4.7. विश्वविद्यालयों को दिन प्रति दिन के खर्चे हेतु तथा विकास कार्य के लिये वर्ष 1978-79 में 304.06 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(लाख रुपये)
(क) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	154.06
(ख) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय	150.00
जोड़	304.06

अराजकीय महाविद्यालयों में प्रशासकों की नियुक्ति :—

4.8. सरकार ने अहीर कालिज रिवाड़ी तथा डी0ए0वी0 कालिज हुसनगढ़ में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिये।

प्लैनिंग फोरम :—

4.9. वर्ष 1978-79 में राज्य के 3 विश्वविद्यालयों, 14 राजकीय तथा 102 अराजकीय महाविद्यालयों में स्थापित किये गये प्लानिंग फोरमज को चालू रखने के लिये 0.46 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

राजकीय महाविद्यालयों के लिये भवनों/छात्रावासों का निर्माण :—

4.10. इस परियोजना के अन्तर्गत 1978-79 में व्यवस्थित 18.00 लाख रुपये की राशि के समक्ष 19.57 लाख रुपये के खर्चे से करनाल, बहादुरगढ़, हिसार तथा महेन्द्रगढ़ में स्थित राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्यक्रम चलाया गया।

छात्र संख्या :—

4.11. रिपोर्टाधीन वर्ष में राज्य में 81288 छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। संस्थानसार छात्रों की संख्या इस प्रकार थी :—

संस्था का स्तर	छात्रों की संख्या		
	लड़के	लड़कियां	जोड़
1. राजकीय महाविद्यालय	12921	3911	16832
2. अराजकीय महाविद्यालय	40154	20254	60408
3. विश्वविद्यालय	3017	1031	4048
जोड़	56092	25196	81288

अध्याय पांचवा

"शिक्षक प्रशिक्षण"

5.1. शिक्षा का स्तर अध्यापक के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर है। शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रति दिन कई प्रकार के नये अनुसंधान हो रहे हैं तथा अध्यापक का इन अनुसंधानों तथा प्रयोगों से भली भांति परिचित होना आवश्यक है। इसलिये शिक्षक को व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिये दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है :—

1. सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण।

2. सेवाकालीन प्रशिक्षण।

सेवा काल से पूर्व प्रशिक्षण:–

वर्ष 1978-79 में भिन्न-भिन्न वर्गों के अध्यापकों के लिये राज्य में निम्नलिखित पाठय क्रमांक की सुविधाएं उपलब्ध थी।

एम0एड0 कक्षाएं :–

राज्य में एम0 एड0 की कक्षाएं केवल राव वीरेन्द्र सिंह शिक्षण महाविद्यालय रिवाड़ी तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध रही। दोनों संस्थाओं में वर्ष 1978-79 में 37 लड़के तथा 51 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया।

बी0 एड0 कक्षाएं :–

वर्ष 1978-79 में बी0 एड0 प्रशिक्षण अध्यापकों की कक्षाएं राज्य में 20 शिक्षा महाविद्यालयों में चालू रही। इसके अतिरिक्त वैश्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़ को भी 50 लड़कियों के लिये बी0 एड0 की कक्षाएं चालू करने की अनुमति भी दी गई थी। इन सभी महाविद्यालयों में 1315 लड़कों तथा 2379 लड़कियों ने बी0 एड0 की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त किया।

डिप्लोमा एन-ऐजुकेशन कक्षाएं :–

शक्षणिक वर्ष 78-79 में डिप्लोमा-इन-ऐजुकेशन तथा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण बन्द रहा, क्योंकि पहले ही काफी संख्या में प्रारम्भिक कक्षाओं के अध्यापक बेरोजगार थे।

ओ० टी० प्रशिक्षण कक्षाएं :–

रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित संस्थाओं में हिन्दी, संस्कृत तथा पंजावी की ओ० टी० कक्षाएं खोलने की अनुमति दी गई :

1. राजकीय शिक्षण महाविद्यालय, भिवानी	हिन्दी तथा संस्कृत की 60–60 सीटस
2. राजकीय जे० बी० टी० स्कूल, नारायण गढ़	ओ० टी० पंजावी की 40 सीटस

सेवाकालीन प्रशिक्षण :–

गत वर्षों की भांति वर्ष 1978-79 में भी प्राथमिक तथा स्नातक अध्यापकों के लिये कई सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये गये। इस वर्ष जो सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये गये, वे निम्न प्रकार है :—

प्रशिक्षण का विवरण	प्रशिक्षण अवधि (दिनों में)	जितने अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण आयोजित किया गया
1. शिक्षा अधिकारी	5	50
2. मुख्य अध्यापक/मख्य अध्यापिकाएं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्राधानाचार्य	5	1000
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी	5	117
4. माध्यमिक अध्यापक	20	1200
5. प्राथमिक अध्यापक	16	4100

विस्तार सेवा विभाग :-

5.2. विस्तार सेवा विभाग, रोहतक द्वारा भी नजदीक के अध्यापकों के लिये थोड़ी अवधि (शोर्ट टरम कोर्स) के लिये कोर्स आयोजित किये जाते हैं।

राज्य विज्ञान संस्थान गुड़गांव :-

5.3. रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य विज्ञान संस्थान, गुड़गांव प्राथमिक तथा सैकेण्डरी स्तर पर विज्ञान शिक्षा को विकसित करने तथा विज्ञान शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिये काफी प्रयत्नशील रहा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक तथा सकैण्डरी अध्यापकों के लिये विज्ञान विषय में विभिन्न प्रकार के कोर्सिज भी इस संस्थान द्वारा आयोजित किये गये।

युनिसिफ स्कीम के अन्तर्गत विज्ञान शिक्षा सुधार कार्यक्रम :-

5.4. यह स्कीम वर्ष 1970-71 से प्राथमिक-स्तर पर विज्ञान शिक्षा के स्तर को समन्नत करने वाला तथा विज्ञान शिक्षा में सुधार लाने के लिये शुरू की गई थी। वर्ष 78-79 में इस स्कीम के अन्तर्गत जे0 बी0 टी0 अध्यापकों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों/उप मंडल शिक्षा अधिकारियों को विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

अध्याय छटा

"अनौपचारि शिक्षा एवं प्रौढ शिक्षा"

6.1. जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। आज के आधुनिक युग में नित्य नये वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं इसलिये इन नये वैज्ञानिक अविष्कारों और सांसरिक घटना चक्रों के ज्ञान के लिये समाज के अशिक्षित वर्ग को शिक्षित करना आवश्यक हो गया है अतः इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में प्रौढ़ों का शिक्षा के लिये भिन्न-भिन्न परियोजनाएं चल रही है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

किसान साक्षरता योजना :–

6.2. यह परियोजना वर्ष 1969-70 में केवल रोहतक जिले में आरम्भ की गई थी। वर्ष 1978-79 तक इस परियोजना को राज्य के 6 जिलों रोहतक, अम्बाला, करनाल, गुड़गांव, हिसार तथा सिरसा में फैला दिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 300 केन्द्र खोले जाने थे अर्थात् 1800 केन्द्र खोले जाने थे किन्तु वर्ष 1978-79 में 1605 केन्द्र खोले जा सके। इस परियोजना के अन्तर्गत 37804 प्रौढ़ों को साक्षरता प्रदान की गई। इस स्कीम का सारा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

15–35 आयु वर्ग के युवकों को अनौपचारिक शिक्षा :—

6.3. यह स्कीम भारत सरकार के साथ 50:50 के आधार पर 4 जिलों में चलाई जा रही है अर्थात् 4 जिलों में से 2 जिलों भिवानी तथा कुरुक्षेत्र का खर्च भारत सरकार द्वारा शेष 2 जिलों जीन्द तथा महेन्द्रगढ़ का खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत 15–35 आयु वर्ग के युवक तथा युवतियों को साक्षरता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत 400 केन्द्र खोले गये तथा इन केन्द्रों में 8600 प्रौढ़ों को शिक्षा का लाभ पहुंचाया गया।

मोबाईल सोशल एजकेशन स्कवैंड

6.4. यह स्कीम राज्य के 2 जिलों जीन्द तथा महेन्द्रगढ़ में चलाई जा रही है। इसके अधीन प्रत्येक स्कवैंड में 29 केन्द्र होते हैं जिनमें से 16 केन्द्र महिलाओं के तथा 13 केन्द्र पुरुषों के होते हैं। इसके अन्तर्गत प्रौढ़ों को समाज शिक्षा का ज्ञान करवाया जाता है तथा उन्हें साक्षरता प्रदान की जाती है।

प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम :-

6.5. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1973-74 में आरम्भ किया गया था और वर्ष 1977-78 में राज्य के सभी जिलों में यह कार्यक्रम फैला दिया गया। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत वष 1978-79 में 1100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने का लक्ष्य था परन्तु 851 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र ही खोले जा सके, जिनमें 19833 प्रौढ़ों को साक्षर बनाया गया। इन 851 केन्द्रों में से 398 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र अनुसूचित जातियों के लिये खोले गये थे जोकि 263 केन्द्र पुरुषों के लिये तथा 135 केन्द्र स्त्रियों के लिये थे। इन केन्द्रों द्वारा कुल 8346 अनपढ़ प्रौढ़ों को साक्षरता प्रदान की गई, जिनमें से पुरुषों की संख्या 5565 तथा स्त्रियों की संख्या 2781 है।

अनौपचारिक शिक्षा आयु वर्ग 6-14 में प्रयोग तथा अन्वेक्षण को प्रोत्साहन

6.6. यह योजनागत स्कीम राज्य में सभी जिलों में चलाई गई है तथा इसके अधीन राज्य में 2620 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा था किन्तु इसके अधीन ~~केन्द्र~~ 2368 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र ही खोले जा सके जिनमें 49174 बच्चों को साक्षर बनाया गया।

प्रौढ शिक्षा का विस्तार :-

6.7. वर्ष 1978-79 में प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार किया गया, निदेशक शिक्षा इस कार्यक्रम के समस्त प्रभारी है, जिसके विस्तार के कारण प्रौढ़ शिक्षा के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये निदेशालय स्तर पर तथा जिला स्तर पर अधिकारियों के पद सृजन किये गये जो निम्न प्रकार है :

निदेशालय स्तर पर :-

1.	संयुक्त निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा)	1
2.	उप निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा)	1
3.	सहायक निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा)	2

एक राज्य सन्साधन केन्द्र की स्थापना की गई है जिसमें एक निदेशक, 5 अनसंधान अधिकारियों के पद सृजित किये गये हैं।

जिला स्तर पर :-

प्रत्येक जिले के लिये एक जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, एक परियोजना अधिकारी तथा एक सहायक परियोजना अधिकार का पद सृजित किया गया है।

अध्याय सातवां

"महिला शिक्षा"

7.1. वर्तमान आधुनिक युग में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर सफल हो रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से भी आगे बढ़ रही हैं। अतः महिला शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिये राज्य सरकार ने लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति के लिये कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की हुई हैं। यह सुविधाएं रिपोर्टाधीन अवधि में भी जारी रहीं।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा ट्यूशन फीस कम ली जाती है। अराजकीय विद्यालयों में भी छटी से ग्याहरवीं कक्षा तक पढ़ने वाली कन्याओं की फीस की दर लड़कों की अपेक्षा कम रखी गई है।

(ख) हरिजन कन्याओं को नौवीं, दसवीं तथा ग्याहरवीं कक्षाओं में क्रमशः 20, 25 और 30 रुपये की मासिक की दर से योग्यता छात्रवृत्तियां देने की भी व्यवस्था है। यह छात्रवृत्तियां आठवीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली कन्याओं को दी जाती है। प्रत्येक कक्षा के लिये 50, 50 छात्रवृत्तियां हरिजन कन्याओं के लिये हर वर्ष उपलब्ध की जाती है।

(ग) विधवाओं/पतियों से अलग रहने वाली/विवाह विछेद स्त्रियों के लिये जे0 वी0 टी0/एल0 टी0 सी0/नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। ऐसी महिलाओं को अधिकतम आयु में साधारण ढील दे दी जाती है। यह स्त्रियां 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं जबकि पुरुषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष है। उन मिलटरी पुरुषों की पत्नियों या उनके आश्रितों को जो अयोग्य हो गये हों या लड़ते लड़ते मारे गये हों, प्रवेश के लिये अधिकतम आयु की सीमा 41 वर्ष है।

(घ) जिन स्थानों/गांवों में कन्याओं के लिये अलग स्कूल नहीं हैं वहां पर कन्याओं को लड़कों के स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने की भी अनुमति दी जाती है।

कन्या शिक्षा संस्थाओं की संख्या :–

संस्था का प्रकार	राजकीय	अराजकीय	जोड़
प्राथमिक विद्यालय	261	10	271
माध्यमिक विद्यालय	71	6	77
उच्च विद्यालय	106	82	188
उच्चतर माध्यमिक	20	1	21
महाविद्यालय	1	25	26

पिछले कुछ वर्षों से कन्याओं के स्कूलों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण यह रहा है कि जिन स्थानों पर कन्याओं के लिये अलग स्कूल नहीं है वहां पर वे लड़कों के स्कलों में ही शिक्षा प्राप्त कर सकती है। परन्तु कन्याओं के लिये अलग प्राथमिक स्कूल निम्नलिखित शर्तों पर खोले जाते हैं।

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की मांग हो।

2. यदि स्थानीय जनता स्कूल भवन के लिये प्रबन्ध करे।

3. यदि 30 या 40 कन्याएं विद्यालय में प्रवेश पाने के लिये उपलब्ध हों।

4. यदि एक मील के क्षेत्र में कन्याओं के लिये कोई और विद्यालय न हो।

जिला शिक्षा अधिकारी, कन्याओं के लिये अलग प्राथमिक ब्रांच विद्यालय भी खोल सकते हैं यदि उस गांव में लड़कियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो और अतिरिक्त स्टाफ देने की आवश्यकता न हो।

सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप राज्य में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या 5.52 लाख रही जबकि पिछले वर्ष 1977-78 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 5.21 लाख थी।

छात्रवतियां :–

7.3. राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की छात्रवृत्तियां केवल लड़कियों को इसलिये स्वीकृत की जाती है कि वह भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके और उसके माता-पिता तथा संरक्षक अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण लड़कियों की शिक्षा में बाधक न बन सकें। अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियों में शिक्षा प्रोत्साहन के लिये महाविद्यालय स्तर पर उन लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है जिनके माता-पिता की आय निश्चित सीमा 6000/- रु० से कम हो।

वर्ष 1978-79 में कन्याओं को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण इस प्रकार है :—

छात्रवृत्ति का नाम	छात्रवृत्तियों की संख्या केवल लड़कियों के लिये	मासिक दर
1	2	3
स्कूल स्तर :–		
मिडल स्कूल छात्रवृत्ति	378	10/- रु०
माध्यमिक स्कूल योग्यता छात्रवृत्ति	411	15/- रु०
महाविद्यालय स्तर		

1	2	3
राज्य योग्यता छात्रवृतियां :–		
उच्च/उच्चतर माध्यमिक	47	22/- रु0
प्रैप	83	45/- रु0
हायर सकैण्डरी पार्ट–II कुल स्तर	15	45/- रु0
नौवीं श्रेणी	50	20/- रु0
दसवीं श्रेणी	50	25/- रु0
ग्यारहवीं	50	30/- रु0

कमजोर वर्ग की लड़कियों को मुफ्त वर्दियां देना :—

प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले कमजोर वर्ग की लड़कियों को रिपोर्टाधीन अवधि में एक लाख रुपये की लागत की मुफ्त वर्दियां समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई।

विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले छात्राओं की संख्या :–

राज्य में विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार थी :—

शिक्षा का स्तर	छात्राएं
प्राथमिक स्तर	385459
माध्यमिक स्तर	107875
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	33056
महाविद्यालय स्तर	25196
जोड़	551586

अध्याय आठवां

"शिक्षा सुधार कार्यक्रम"

8.1. शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिये तथा शिक्षा के स्तर को सम्मुन्नत करने के लिये विभाग द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि में कई कार्यक्रम चलाय गये हैं। अध्यापकों को नवीनतम शिक्षण पद्धतियों तथा विधियों के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा देने हेतु राज्य शिक्षा संस्थान तथा राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा समय-समय पर मार्ग दर्शन दिया जाता रहा है। वर्ष 1978-79 में 4100 प्रायमिक अध्यापकों तथा 1200 माध्यमिक अध्यापकों को भिन्न-भिन्न विषयों को सुचारू रूप से पढ़ाने के लिये सेवाकालीन प्रशिक्षण भी दिया गया है।

राज्य शिक्षा संस्थान के प्रकाशन विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों के लिये सेवाकालिन प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक विकास के लिए पत्राचार कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया गया है। यह पत्रिका राज्य के लगभग 30 हजार प्रायमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक अध्यापक प्रति मास शाला संगम की वठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचारविमर्श करते हैं। जिससे उनको बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है।

8.2. संस्थान के प्रसारण सेवा केन्द्र ने गुड़गांव के आस-पास के प्राईमरी स्कूलों में शिक्षा में सुधार लाने में विशेष सहयोग दिया है। इन स्कलों में उपलब्ध साधनों और प्रदान की गई सहायता के माध्यम से शिक्षा को और अधिक रोचक बनाने के लिए अध्यापकों को मार्गदर्शन दिया गया और समय-समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर के अध्यापकों की शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि की गई। ऐसा करने से अध्यापकों में अन्वेशण की प्रवत्ति को प्रोत्साहित किया गया है। गुड़गांव के आस पास के 133 प्राथमिक अध्यापकों को विभिन्न विषयों को नई शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाने से अवगत कराया गया।

शाला संगम :–

स्थापित किये गये शाला संगम केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्राथमिक अध्यापकों की व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जाते हैं। इन मासिक बैठकों में अध्यापक कक्षा संबंधी अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खड शिक्षा अधिकारी उपमण्डल, शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी समय-समय पर भाग लेते हैं।

विज्ञान शिक्षा सुधार कार्यक्रम :–

8.3. प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के स्तर को समुन्नत करने के लिये 1970-71 में यूनिसिफ की स्कीम आरम्भ की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत जे0वी0टी0 अध्यापकों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों/उप मण्डल शिक्षा अधिकारियों को विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा वांछित प्रशिक्षण दिया गया।

संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान संस्थान द्वारा नये प्रकार की विज्ञान किटस तैयार की गई। राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण सुधार के लिए रिपोर्टाधीन अवधि में 2.25 लाख रुपये की राशि किटस तैयार करने के लिए प्रदान की।

प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण में परिवेश तथा स्थानिय साधनों के प्रयोग पर 11-12-1978 से 20-1-1979 तक एक कर्मशाला का आयोजन किया गया जिसमें 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विज्ञान शिक्षण में परिवेश तथा साधनों के प्रयोग पर एक अध्यापक निर्देशिका भी तैयार की गई।

कार्य अनुभव :–

8.4. कार्य अनुभव शिक्षा का एक महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग है। यह विषय राज्य के सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा यह विषय अनिवार्य विषय घोषित किया जा चुका है। इस विषय का नाम बदल कर समाज उपयोगी उत्पादक कार्य रखने हेतु विचार किया जा रहा है। राज्य में नई शिक्षा पद्धति 10+2+3 के अनुसार हर विद्यालय में इस विषय

की शिक्षा के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में गुड़गांव, नीलोखेड़ी तथा नारनौल में केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

प्लैनिंग फोरम

8.5. राज्य के 3 विश्वविद्यालयों, 14 राजकीय महाविद्यालयों तथा 102 अराजकीय महाविद्यालयों में स्थापित किये गये प्लैनिंग फोरम के कार्य-क्रम को रिपोर्टाधीन अवधि में चालू रखने हेतु 0.46 लाख रुपये की राशि सहायता अनुदान के रूप में दी गई।

शिक्षा सस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध करना :—

8.6. रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक तथा भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिये विशेष पग उठाये गये।

जिन राजकीय विद्यालयों के भवन लोक निर्माण विभाग की पुस्तकों में दर्ज हैं उनमें से 123 राजकीय विद्यालयों के भवनों की मुरम्मत के लिये लोक निर्माण विभाग से प्राप्त अनमानों के आधार पर 25.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) हरियाणा द्वारा समस्त राशि का उपयोग कर दिया गया था।

सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की वार्षिक मुरम्मत के लिये 50 खण्ड विकास तथा पंचायत समितियों को दी गई।

अध्याय नौ

"छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता"

9.1. भिन्न-भिन्न स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्रति वर्ष अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता तथा छात्रवृत्तियां भी दी गई।

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृति योजना :–

9.2. इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य 1093 छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 1978–79 में 11.38 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। हरियाणा राज्य के प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के 65 बच्चों को भारत सरकार भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के आधार पर छात्रवृत्तियां भी देती है। वर्ष 1978-79 में ऐसी छात्रवृत्तियों पर 39000/- रुपये की राशि व्यय की गई।

महाविद्यालयों में राज्य योग्यता छात्रवृति योजना :–

9.3. योग्य हरियाणवी छात्रों को राज्य की मैट्रिक उपरांत संस्थाओं में पढ़ने के लिये योग्यता छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। वर्ष 1978-79 में 599 छात्रों को 3.64 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों को छात्रवृतियां :–

9.4. रिपोर्टधीन वर्ष में सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 613 छात्रों को 15.40 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां दी गई।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति योजना :–

9.5. इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार निर्धन माता-पिता के कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले योग्य बच्चों को ऋण के आधार पर छात्रवृत्तियां देती है। वर्ष 1978-79 में 2.41 लाख रुपये की राशि इस परियोजना के लिये व्यय की गई। इस योजना के अन्तर्गत 342 छात्रों ने लाभ उठाया

वर्ष 1978-79 में 1.06 लाख रुपय ऋण के रूप में तथा 0.17 लाख रुपय सूद के रूप में वसूल हुए।

स्कूलों के छात्रों के लिये योग्यता छात्रवृति योजना :—

9.6. राज्य सरकार की ओर से माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के लिये 1014 योग्यता छात्रवत्तियां 10/- रु0 प्रति मास की दर से और उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिये 668 छात्रवृत्तियां 15/- रु0 प्रति मास की दर से दी जाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृति योजना :-

9.7. ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर पर भारत सरकार तथा राज्य की ओर से 6 छात्रवृत्तियां प्रति विकास खंड में दी जाती हैं। चुने गये स्कूल के छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 1000/- रुपये प्रतिवर्ष और अन्य स्कूलों में छात्रों को 500 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त छात्र अपनी इच्छा के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं और फीस देते हैं, उन्हें 250/- रु0 प्रति वर्ष और जहां फीसें नहीं ली जाती, वहां 150/- रु0 प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1978-79 में इस परियोजना के लिये 2.73 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृतियां :—

9.8. नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षा में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को 10/- रु0 प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियां भारत सरकार द्वारा दी जाती है। वर्ष 1978-79 में इस परियोजना के लिये 6000/- रु0 की राशि की व्यवस्था की गई थी।

तेलगू पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृतियां :-

9.10. हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। वर्ष 1978-79 में 10/- रु0 प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियां दी गई और इस कार्य के लिये 37086/- रु0 की राशि व्यय की गई।

राज्य हरिजन कल्याण योजना :-

9.11. स्कूल स्तर पर अनसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों नौवीं दसवीं तथा ग्याहरवीं कक्षा के विद्यार्थियों को 8/- रु० प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियां दी गई। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

9.12. महाविद्यालय स्तर पर पिछड़े वर्गों के छात्रों को भिन्न-भिन्न कक्षाओं/कोर्सों में 15/- रु०, 20/- रु० तथा 25/- रु० मासिक दर से छात्रवत्तियां दी जाती हैं। निःशुल्क शिक्षा के अतिरिक्त इन छात्रों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की गई। वर्ष 1978-79 में इस परियोजना के लिये 40.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 3230 छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ।

स्कूल स्तर पर छात्रवृत्तियों की स्वीकृतियां देने के लिये उप मंडल शिक्षा अधिकारी सक्षम हैं। राजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां उन्हीं महाविद्यालयों के प्राचार्य स्वीकृत कर सकते हैं, जिससे छात्रों को समय पर छात्रवृत्तियां मिल जाती है परन्तु गैर सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां स्वीकृति सहायक निदेशक छात्रवृत्ति द्वारा दी जाती है। छात्रों को छात्रवृत्ति तथा अन्य सभी प्रकार की वित्तीय सहायता उनके माता-पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय के आधार पर दी जाती है। वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 4200/- निर्धारित है।

हरियाणा राज्य में हरिजन छात्राओं के लिये योग्यता छात्रवृति योजना

9.13. नौवीं, दसवीं तथा ग्याहरवीं कक्षाओं की हरिजन छात्राओं के लिये 150 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है। प्रति वर्ष 50 नई छात्रवृत्तियां प्रत्येक कक्षा में अर्थात् नौवीं, दसवीं तथा ग्याहरवीं में क्रमशः 20/- रु०, 25/- रु० तथा 30/- रु० प्रति मास की दर से दी जाती है। वर्ष 1978-79 में इसके लिये 45000/- रुपये की व्यवस्था की गई थी।

विमुक्त जाति छात्रवृति योजना

9.14. विमुक्त जाति के बच्चों को स्कूल तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्र-

वृत्तियां देने के लिये अलग से विमुक्त जाति कल्याण योजना चल रही है। वर्ष 1978–79 में इस परियोजना के लिये 43,300 रुपये की व्यवस्था की गई थी ।

अनुसूचित जाति के छात्रों को भारत सरकार द्वारा मैट्रिक उपरान्त छात्रवृति

9.15. अनुसूचित जाति के छात्रों को मैंट्रिक उपरान्त स्तर पर छात्रवृतियां शिक्षा शुल्क तथा अनिवार्य रुप से दी जाने वाली शुल्क की राशि भी दी जाती है। इन छात्राओं को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। ऐसी छात्र-वृतियों की दरें कक्षा/कोर्स अनुसार भिन्न-भिन्न है जो कि 40/- रुपये प्रति मास से 195/- रुपये प्रति मास तक है। ये छात्रवतियां माता-पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय के आधार पर दी जाती है। 500/-रुपये तक मासिक आय वाले माता-पिता संरक्षकों के बच्चों को पूर्ण छात्रवृति तथा अन्य पूर्ण सुविधाएं दी जाती हैं। परन्तु 501/- रुपये से 750 रुपये तक की आय वाले माता-पिता/संरक्षकों के बच्चों को छात्रवृति आधी दर पर तथा अन्य सुविधाएं पूर्ण रुप से दी जाती हैं। वर्ष 1978–79 में इन छात्रवतियों के लिये लगभग 36.49 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी। इस छात्रवृति स्कीम से लगभग 4600 छात्रों को लाभ हुआ।

कम आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृति

9.16. इस स्कीम के अन्तर्गत जिन छात्रों के माता-पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय 1800/-रुपये या इससे कम हो, उनको मैंट्रिक उपरान्त स्तर पर छात्रवति दी जाती है। इस छात्रवृति की दर 27/- रुपये से 65/- रुपये प्रति मास है और छात्रवृति के लिये अतिरिक्त शिक्षा शुल्क/अनिवार्य निधियां तथा परीक्षा शल्क की सविधा भी दी जाती है। वर्ष 1978–79 में इस परियोजनार्थ 1.25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। इससे लगभग 183 छात्रों को वर्ष 1978–79 में लाभ प्राप्त हुआ।

अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को छात्रवृति :

9.17. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर-अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को भारत सरकार मैट्रिक उपरान्त छात्रवृति देती है। इस स्कीम के अन्तर्गत एक छात्रवृति दी गई जिस पर 768/- रुपये व्यय हुआ।

अध्याय दसवां

"विविध"

खेल कूद

10.1. खेल कूद के विषय को राज्य की शिक्षा संस्थाओं की शिक्षण पद्धति में उचित स्थान प्राप्त है। प्राय: खेलों पर व्यय शिक्षा संस्थाओं की मिश्रित निधि से किया जाता है। खेलों के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 1978–79 में खेलों के विकास के लिये 22000/- रुपये की राशि अनुदान के रुप में दी। जनवरी, 1979 में नागपुर में हुई शीतकालीन अन्तरराजकीय प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र / छात्राओं द्वारा निम्नलिखित स्थान प्राप्त किये गये :—

कुश्ती	1 स्वंण पदक
कुश्ती	1 रजत पदक
कुश्ती	2 कांस्य पदक
पोल वाल्ट	1 स्वर्ण पदक
पोल वाल्ट	1 रजत पदक
जैवेलन थ्रो	1 स्वंण पदक

विद्यालयों के व्यायाम प्रशिक्षकों तथा खेलों में विशेष रुचि रखने वाले अध्यापकों व छात्रों को खेलकूद में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेष शिविर भी आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 1978–79 में खेल विभाग के सहयोग से 50 पी. टी. आईज. को कुरुक्षेत्र में योग अभ्यास का प्रशिक्षण दिया गया और वे प्रशिक्षित पी. टी. आईज. बच्चों को स्कूल में योगा अभ्यास करवायेगें ।

एन0 एस0 एस0 :—

10.2 विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तिगत और उनके बौद्धिक विकास के लिये भारत सरकार की सहायता से हरियाणा राज्य में एन. एस. एस. प्रोग्राम चालू है। वर्ष 1977–78 में इस प्रोग्राम के अधीन स्वयं सेवकों की संख्या 12000 थी और कालिजों में स्वीकृत एन. एस. एस. युनिटों की की संख्या 113 थी। वर्ष 1978–79 में इस प्राग्राम के लिये विभाग के बजट में 14,40,000/- रुपये की व्यवस्था थी इस प्रोग्राम पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार क्रमश: 7:5 के अनुपात में खर्च करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये एन. एस. एस. के स्वयं सेवक विशेष सहयोग देते हैं। ग्रामीण जनता उत्थान हेतु "यूथ फार रुरल रिकंस्ट्रेकशन" अभियान के अधीन हरियाणा राज्य में वर्ष 1977–78 में 123 शिविर लगाये गये। (18 ग्रीष्मकालीन 74 पतझड़ अवकाश काल में तथा 31 शरद अवकाश काल में) इन शिवरों में से कुछ शिविर मलिन बस्तियों (Slum. Areas) में लगाए गए। लगभग 600 छात्रों ने इस शिविरों में भाग लिया। इन शिवरों में मुख्यता निम्नलिखित कार्यक्रमों पर कार्य किया गया।

1. Slum Clearance.
2. Eradication of illiteracy.
3. Socio-medical work.
4. Improvent of Sanitation·
5. Plantation of Trees
6. Populalisation & construction of Gobar Gas Plants.
7. Eradication of dowry and other social evils.
8. Adult Education.

एन0 सी0 सी0 :—

10.3. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार

एन सी. सी. स्कीम के अन्तर्गत सेना की तीनों शाखाओं जल, थल, तथा वायु सेनाओं का प्रशिक्षण राज्य में एन सी. सी. के कैडिटस को दिया जाता है। महाविद्यालयों के छात्रों के लिये सीनियर डवीजन तथा विद्यालयों के छात्रों के लिये जूनियर डीविजन स्थापित किये हुए हैं।

इस परियोजना को चलाने का खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर नियमानुसार करती हैं। वर्ष 1978-79 में एन. सी. सी. स्कीम को चलाने हेतु 52,20,260/- रुपये की बजट व्यवस्था की गई। रिपोर्टाधीन अवधि में सीनियर/जूनियर डवीजन की बटालियन की संख्या और कुल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैडिटस की संख्या निम्नलिखित रही :—

सीनियर डीविजन	बटालियन की संख्या	कैडिटस की संख्या
इनफैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिये)	12	9600
इनफैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिये)	2	16,00
वायु सकवैड्रन	2	400
जल बटालियन	1	200
ग्रुप हैडक्वार्टरज	2	—

जुनियर डवीजन	बटालियन की संख्या	कैडिटस की संख्या
इनफन्टरी बटालियन (लड़कों के लिये)	138	13,250
इनफैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिये)	10	1,000
वायु विंग	14	1,350
जल विंग	5	450

रैडक्रास :–

10.4. रैडक्रास संस्था समाज में रोगियों, अगंहीनों, घायलों और निर्धनों की सहायता में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को छात्रों को प्रिय बनाने के लिये राज्य में जिला स्तर पर जूनियर रडक्रास संस्थाएं जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थापित की गई हैं। शिक्षा संस्थाओं के रैडक्रास फण्ड में से आवश्यकताग्रस्त बच्चों को पुस्तकें, वर्दियां, चिकित्सा के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में एकत्रित रैडक्रास फण्ड की राशि में से कुछ प्रतिशत भाग साकेत में अंगहीन बच्चों तथा व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु हर वर्ष दिया जाता है।

इस संस्था द्वारा वर्ष 1978–79 में बाढ़ पीड़ितों के लिये 24 लाख रुपये की राशि की सहायता दी गई। सहायता की मदों में दवाईयों, भोजन, कम्बल, आदि शामिल थे। इसी अवधि में लगाये गये रक्तदान शिविरों में 10,598 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। जिला रैडक्रास ब्रांच रोहतक के प्रस्ताव तथा पेंटिग की प्रतियोगिता मनाई, इसमें 16 विद्यार्थियों ने प्रस्ताव तथा 65 विद्यार्थियों ने पेंटिग भेजी।

संस्था द्वारा आर्थिक कमजोर स्त्रियों एवं बच्चों के लिये 21 क्राफट केन्द्र खोले गये। यह केन्द्र रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी और अम्बाला जिले में स्थापित हैं। इनमें सिलाई, कढ़ाई निवार, दरियां आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन केन्द्रों में आर्डर पर कार्य भी किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि में संस्था ने शुद्ध पेय जल सुविधा उपलब्ध करने हेतु तथा गरीब बच्चों की पढ़ाई तथा पुस्तकों और वर्दियों आदि पर 3,29,812/- रुपये खर्च किये।

भारत स्काऊटस एवं गाईडस

10.5. राज्य की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काऊटस एवं गाईडज आन्दोलन छात्रों में भ्रातृ-प्रेम, नेतृत्व की भावना तथा जन जाति की सेवा करने के भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। यह आन्दोलन हरियाणा भारत स्काऊटस एण्ड गाईडज एसोशिऐशन के संरक्षण में चल रहा है। वर्ष 1978–79 में राज्य सरकार द्वारा संस्था को 75000/- रुपये नान प्लान पक्ष से तथा 47750/- रुपये प्लान पक्ष से अनुदान के रूप में दिये गये।

वर्ष 1978–79 में हरियाणा भारत स्काऊटस एण्ड गाईडज एसोशियेशन द्वारा राज्य स्तर पर 15 शिविर स्काऊटस के लगाये गये जिनमें 932 स्काऊटस ने भाग लिया और एक स्काऊटस रैली में 392 स्काऊटस ने भाग लिया । 3 समाज सेवा कैम्प लगाये गये जिनमें 408 स्काऊटस ने भाग लिया । राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों के 4 कैम्प लगाये गये जिसमें 436 ने भाग लिया ।

राज्य स्तर पर 7 गर्ल्ज गाईडज कैम्प लगाये गये जिसमें 282 गाईडज ने भाग लिया । एक समाज सेवा कैम्प लगाया गया जिसमें 300 गाईडज ने भाग लिया । राष्ट्रीय गतिविधियों के 7 कम्पों में 318 गाईडज ने गाईड स्तर की योग्यता प्राप्त की ।

स्कूल केयर फीडिंग प्रोग्राम

10.6. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हरियाणा में केयर की सहायता से 83 शिक्षा खण्डों में चलाया जा रहा है । इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राईमरी स्कूलों के छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है । यह खाद्य सामग्री केयर की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है । प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दलिया तथा 7 ग्राम सलाद आयल दिया जाता है । वर्ष 1978–79 में अन्त में 4.22 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन का लाभ प्राप्त हुआ ।

शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम पर लगभग 26.39 लाख रुपये की राशि खर्च की जिसमें से 7.16 लाख की राशि केयर संगठन के प्रशासनिक व्यय के रूप में तथा शेष राशि अन्य खर्चों तथा परिवहन व्यय के रूप में खर्च की गई ।

घरोंडा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा 4000 बच्चों के लिये प्रतिदिन पंजीरी तैयार कर के स्कूलों में बांटने के लिये भेजी गई । इस किचन के खर्च के लिये द्वारा 8.35 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई ।

पुस्तकालयों का विकास

10.7. वर्ष 1978–79 में जिला पुस्तकालयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई । इनकी संख्या गत वर्ष की तरह 7 ही रही ।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

10.8. वर्ष 1978–79 में राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान निधि में लगभग 3.83 लाख रुपये की राशि एकत्रित की गई तथा विपदाग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को इस फण्ड में से 3.83 लाख रुपये सहायता के रूप में वितरित किये गये। सहायता के रूप में वितरित की जाने वाली राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) 15 सेवा निवृत/मृतक अध्यापकों की लड़कियों को उनकी शादी पर 1500/- रुपये प्रति लड़की के हिसाब से 22500/- रुपये की सहायता दी गई।

(2) 3 अध्यापकों ने उनकी लम्बी बीमारी पर 500/- रुपये अध्यापक के हिसाब से 1500/- रुपये की सहायता दी गई।

(3) 73 मृतक अध्यापक/अध्यापपिकाओं के आश्रितों को 1000/- रुपये प्रति अध्यापक/अध्यापिकाओं के दाहसंस्कार तथा क्रियाकर्म के लिये तदर्थ आधार पर तत्काल 73000/- रुपये सहायता के रूप में दिये गये।

(4) 61 मृतक अध्यापक/अध्यापिकाओं के आश्रित को 75 रुपये से 100 रुपये प्रति मास के हिसाब से एक साल के लिये 900 रुपये से 1200 की प्रति अध्यापक के परिवार को सहायता के रूप में दी गई है। जो 96059/- रुपये बनती है।

(5) मृतक अध्यापकों की विधवाओं को सिलाई मशीनें भी दी गई।

(6) 23 अध्यापकों के बच्चों को 23 छात्रवृतियां मैट्रिक पश्चात शिक्षा प्राप्त करने हेतु दी गई है। जो 18480/- रुपये की बनती है।

परिशिष्ठ "क"

31-3-79 को निदेशालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी :–

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
1.	निदेशक शिक्षा	प्रथम	श्री ओ0 पी0 भारद्वाज आई0ए0एस0
2.	निदेशक विद्यालय	प्रथम	श्री अनिल राजदान, आई0 ए0एस0
3.	संयुक्त निदेशक (महाविद्यालय)	प्रथम	श्री हरकिशन सिंह
4.	संयुक्त निदेशक (विद्यालय)	प्रथम	श्री के0 पी0 अवरोल
5.	उप निदेशक	प्रथम	श्रीमति राजदुलारी
6.	उप निदेशक	प्रथम	श्री बी0 एल0 गोस्वामी
7.	उप निदेशक	प्रथम	श्री पी0 पी0 गोस्साई
8.	उप निदेशक	प्रथम	श्री आर0 एस0 दत्त
9.	उप निदेशक	प्रथम	कुमारी स्वंण आतिश
10.	राज्य सर्वेक्षण अधिकारी	प्रथम (अस्थाई)	श्रीमति पुष्पा अवरोल
11.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री एस0 एस0 कौशल
12.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री वासुदव छावड़ा
13.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्रीमति कमला छिकारा

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्ग	अधिकारी का नाम
14.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री नरेन्द्र कुमार
15.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री बी0 आर0 बजाज
16.	सहायक निदेशक	द्वितीय	श्री एस0 एस0 चौधरी
17.	प्रशासन अधिकारी	द्वितीय	श्री शेर सिंह
18.	लेखा अधिकारी	द्वितीय	श्री एस0 एल0 गुप्ता
19.	रजिस्ट्रार शिक्षा	द्वितीय	श्री धर्मपाल गुप्ता
20.	बजट अधिकारी	द्वितीय	श्री ज्ञान प्रकाश जैन
21.	अनौपचारिक शिक्षा अध्यक्ष	प्रथम	रिक्त

परिशिष्ठ "ख"

31-3-79 को जिला स्तर पर अधिकारी

क्रमांक	जिला	जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप मंडल शिक्षा अधिकारी का नाम
1.	अम्बाला	श्री एम0पी0 जैन	कुमारी के0 सुलहन, अम्बाला कुमारी विद्या भोला, जगाधरी कुमारी कृष्णा अरोड़ा, नारायणगढ़
2.	भिवानी	कुमारी शांता राजदान	श्री गगन सिंह, भिवानी श्री अमीर सिंह, चरखी दादरी श्री आर0 डी0 शर्मा, लोहारु
3.	गुड़गांव	श्री धर्म सिंह ढिल्लों	श्री गनपत सिंह, गड़गांव श्री बलराज शर्मा, पलवल श्री जे0 सी0 तनेजा, नूह श्री इन्द्र सैन घई, वल्लभगढ़ श्री हरवंस सिंह, फिरोजपुर झिरका
4.	हिसार	श्री चन्द्रभान	श्री जे0 पी0 शर्मा, हिसार श्री ओ0 पी0 वत्रा, हांसी श्री कदम सिंह, फतेहवाद
5.	जींद	श्री प्रेम प्रकाश	श्री धन सिंह, जींद श्री रघुनाथ सहाय, नरवाना
6.	करनाल	श्री जे0 के0 सूद	श्री बी0 आर0 गोयल, करनाल श्री बी0 पी0 गौतम, पानीपत

क्रमांक	जिला	जिला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप-मंडल शिक्षा अधिकारी का नाम
7.	कुरुक्षेत्र	श्री देव राज सिंह गिल	श्रीमति उमा चोपड़ा, थानेसर श्री जे0 एस0 शर्मा, कैथल
8.	महेन्द्रगढ़	कुमारी कृष्ण चोपड़ा	श्री एस0 एस0 राघव, नारनौल श्री आर0 पी0 गिरधर, रिवाड़ी श्री ओ0 पी0 सेठ, महेन्द्रगढ़
9.	रोहतक	डा0 बाबू राम गुप्ता	श्री हृदयराम मलिक, रोहतक श्री लाल चन्द, झज्जर श्री सूरज लाल, बहादरगढ़
10.	सिरसा	श्री सोहन लाल	श्री एन0 आर0 मितल, सिरसा श्री आर0 एन0 वैद्य, डबवाली
11.	सोनीपत	श्री वी0एस0 पासी	श्री ए0 डी0 तालिब, सोनीपत श्री जगवीर सिंह, गोहाना

परिशिष्ठ "ग"

31-3-79 को श्रेणी I और श्रेणी II के कुल पद कालिज और स्कूलों के अलग-अलग

क्रमांक	पद का नाम	वर्ग	कुल संख्या	पुरुष	स्त्री
1	2	3	4	5	6
1.	प्राचार्य रा0 महाविद्यालय	प्रथम	15	13	2
2.	प्रो0 रा0 महाविद्यालय	प्रथम	9	1	1 (7 रिक्त)
3.	निदेशक रा0 शिक्षा संस्थान गुड़गांव	प्रथम	1	1	—
4.	निदेशक राज्य विज्ञान संस्थान गुड़गांव प्रथम	प्रथम	1	1	—
5.	प्राचार्य रा0 उ0 महाविद्यालय	द्वितीय	77	55	22
6.	प्राचार्य जे0 बी0 टी0 स्कूल	द्वितीय	4	2	2
7.	परिशिष्ट विशेषज्ञ	द्वितीय	3	2	1
8.	विज्ञान परामर्शी	द्वितीय	1	1	0
9.	मूल्यांकन अधिकारी	द्वितीय	2	1	1
10.	परामर्श दाता	द्वितीय	1	1	-
11.	मनोविज्ञानिक वरिष्ठ प्रा0	द्वितीय	216	166	50

1	2	3	4	5	6
12.	उप मण्डल शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी	द्वितीय	41	28	13
13.	जिला शिक्षा अधिकारी	प्रथम	11	8	3
14.	तकनीकी प्राध्यापक	द्वितीय	7	7	—
15.	राज्य पुस्तकाध्यक्ष	द्वितीय	1	1	—

10132—D.P.I.—H.G.P., Chd.